न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 214/2012/223 आर टी ए

1. बलकारसिंह पुत्र जीवनसिंह जाति सिकलीगर निवासी जेजे कॉलोनी जोगी की बस्ती सिकलीगरो का मौहल्ला सिरसा।
2. बलदेवसिंह पुत्र जीवनसिंह जाति सिकलीगर निवासी पुरानी आबादी श्यामनगर वार्ड नं. 07 श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

––अपीलांटस

बनाम

1. मुन्नीदेवी पत्नि ईशरसिंह जाति जाट निवासी तलवाडाझील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. सरस्वती पुत्री ईशरसिंह जाति जाट निवासी तलवाडाझील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. औमप्रकाश पुत्र ईशरसिंह जाति जाट निवासी तलवाडाझील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
4. दलीप पुत्र ईशरसिंह जाति जाट निवासी तलवाडाझील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
5. जगदीश पुत्र ईशरसिंह जाति जाट निवासी तलवाडाझील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
6. रामप्रताप पुत्र ईशरसिंह जाति जाट निवासी तलवाडाझील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
7. मशकीनसिंह पुत्र जीवनसिंह जाति सिकलीगर निवासी तलवाडाझील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
8. पीनीकौर बेवा जीवनसिंह जाति सिकलीगर निवासी तलवाडाझील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

––रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्व निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.07.93 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी संगरिया
प्रकरण संख्या 272/1993 अनवानी ईशर बनाम बलकरणसिह आदि

उपस्थित :–
श्री विजय कौशिक अधिवक्ता अपीलाण्टस
श्री लालचंद वर्मा अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 ता 6
श्री लोकेश शर्मा अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 7

निर्णय दिनांकः–24.08.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि रेस्पो0 सं. 1 ता 6 के पूर्वज वादी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद उद्घोषणा हेतु अपीलांट व रेस्पो0 सं. 7, 8 के विरूद्ध पेश किया कि वादी ने चक 5 टीएलडब्ल्यू की खाता सं. 213/216 मे प.न. 226/288 कि.न. 18, 19, 22, 23 की 4.00 बीघा प.न. 226/289 कि.न. 3, 4 की 2.00 बीघा कुल 6.00 बीघा आराजी जरिये बैयनामा दिनांक 24.06.68 व 08.01.70 द्वारा प्रतिवादी सं. 1 ता 3 अपीलांट व प्रतिावदी सं. 7 व प्रतिवादी सं. 4/रेस्पो0 सं. 8 के पति जीवनसिंह से खरीद की थी व तभी से वादी आराजी मृत वादिया काबिज है। जीवनसिंह

Web Copy - Not Official

ने अपने जीवनकाल मे ही वादी को जरिये बैयनामा बैय कर कब्जा करवा दिया था। इसलिये वादग्रस्त आराजी का गैरखातेदार है तथा प्रतिवादीगण का नाम कलमजन किया जाकर वादी का नाम बतौर खातेदार राजस्व रिकार्ड दर्ज किये जाने का भी अनुतोष चाहा जिस पर न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के जरिये डिक्री किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा वाद वादी पूर्ण रूप से साबित होना मानते हुये प्रश्नगत 6 बीघा भूमि का वादी को गैर खातेदार कृषक मानते हुये वादी को खातेदार काश्तकार अभिलेख मे दर्ज किये जाने का आदेश दिया जबकि पत्रावली मे जो बैयनामे दिनांक 08.01.70 व 24.07.68 को पेश हुआ है वह चक 5 टीएलडब्ल्यू के प.न. 226/288 कि.न. 18 व 19 का नही था पत्रावली पर उक्त किलो के बैचान संबंधी कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नही था। विचारण न्यायालय द्वारा अपने निर्णय मे प्रतिवादीगण अपीलांटस का बावजूद ईतिला हाजिर नही आने की अवधारणा गलत पारित की है, क्योंकि अपीलांट सं. 1 दावा दायरी के समय सिरसा एवं अपीलांट सं. 2 श्रीगंगानगर कृषि भूमि की आय से परिवार की परवरिश नही कर पाने के कारण चले गये थे एवं वही मजदूरी करने लग लगे तथा दावा दायरी के वक्त तलवाडा झी लमे नही थे। वादीगण के द्वारा वाद प्रस्तुत किये जाने संबंधित कोई नोटिस उन्हे कभी नही मिला, ना ही प्रश्नगत भूमि के वाद दायर संबंधित उन्हे पूर्व मे कोई जानकारी थी। विचारण न्यायालय के समक्ष यह तथ्य अभिलेख से बिल्कुल स्पष्ट था कि प्रश्नगत भूमि कस्टोडियन विभाग से अपीलांटस के पिता को आवंटित है एवं अभिलेख मे गैर खातेदारी दर्ज है तो इस प्रकार गैर खातेदारी भूमि का प्रथमतः तो हस्तान्तरण ही कतई अवैध व शून्य है एवं इस प्रकार से वादी को दावा के जरिये किसी प्रकार के कोई अधिकार प्राप्त नही हो सकते थे एवं प.न. 226/288 कि.न. 18, 19 का तो कोई बैयनामा भी विचारण न्यायालय के समक्ष नही था। अपीलांटस ने प्रश्नगत भूमि वादी के जीवनकाल मे उसे तथा फौत होने पर उसके वारिसान को ही हिस्सा ठेका पर दे रखी थी परन्तु उनके द्वारा प्रश्नगत 2 बीघा भूमि की अपने नाम अभिलेख मे दर्ज करवा लिये जाने का कोई जिक्र नही किया जब प्रश्नगत भूमि की खातेदारी प्राप्त करने हेतु दिनांक 18.09.2012 को तहसील टिब्बी आये एवं प्रश्नगत भूमि की खतौनी जमाबंदी सम्वत 2033 से 2042 दिनांक 19.09.2012 को प्राप्त की, तत्पश्चात अन्य कागजात नकल जमाबंदी सम्वत 2050 व नामान्तरण सं. 289 दिनांक 10.10.2012 को प्राप्त कर टिब्बी स्थित अभिभाषक से मिलने पर उनके द्वारा यह बतलाया गया कि

Web Copy - Not Official

प्रश्नगत भूमि की ईजराय दिनांक 07.08.1993 सहायक कलैक्टर संगरिया तहसील आदेश दिनांक 17.08.93 से नामान्तरण वादी के हक मे तस्दीक हुआ है। तत्पश्चात दिनांक 15.10.2012 को टिब्बी से निर्णय की नकल प्राप्त करने हेतु कार्यवाही की गई दिनांक 27.11.2012 को नकल प्राप्त की दिनांक 28.11.2012 को उक्त अपील प्रस्तुत की गई है। अपील गुणावगुण पर बल रखती है फिर भी ईल्म दिनांक से भीतर मियाद अपील प्रस्तुत हुई है। इसलिये अपील प्रस्तुति मे हुई देरी को माफ किया जाकर अपील ज्ञान से अन्दर मियाद समझी जावें। अधिवक्ता अपीलांट अपनी बहस के समर्थन मे आरआरडी 1992 पेज 17, आरआरडी 1994 पेज 215, आरआरडी 2017 पेज 382 न्यायिक दृष्टांत पेश किये। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 29.07.93 निरस्त किया जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुए कथन किया कि अपील को मियाद बाहर होना बताकर निरस्त करने का निवेदन किया तथा बहस में यह कथन किया कि अपील मियाद बाहर है। इस विलम्ब को क्षमा दान करने हेतु जो कारण अपीलार्थी द्वारा बताये गये है उन कारणो के आधार पर विलम्ब को क्षमा नही किया जा सकता इसलिये अपील को मियाद के बिन्दु पर निरस्त करने का निवेदन किया। विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 द्वारा बहस में निवेदन किया कि मियाद के बिन्दु के अतिरिक्त अपील के अन्तर्गत जो भी बिन्दु उठाये गये है वे कतई आधारहीन है। रेस्पो0 सं. 1 ता 6 के पिता ईशरराम द्वारा अपीलांट के पिता जीवानसिंह से जरिये बैयनामा दिनांक 24.06.68 व 08.01.70 को चक 5 टीएलडब्ल्यू के खाता सं. 213/216 प.न. 226/288 कि.न. 18, 19, 22, 23 प.न. 226/289 कि.न. 3, 4 कुल 6 बीघा आराजी खरीद की थी जिसके आधार पर ईशरराम द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पेश कर वादग्रस्त भूमि के संबंध मे घोषणा का अनुतोष चाहा गया। जिसमे अपीलांटस/प्रतिवदीगण विधिवत रूप से तामील करवाई गई सम्मन पर प्रतिवादीगण के हस्ताक्षर अंकित है परन्तु बावजूद तामील प्रतिवादीगण उपस्थित नही आने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल लाई गई। अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर है क्योंकि अपीलांटस को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री का ज्ञान से शुरू से ही रहा है परन्तु जानबूझकर अपीलांटस द्वारा बिना किसी आधार के उक्त मियाद बाहर प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयष्कर होने के तथ्य को मद्देनजर रखते हुए

Web Copy - Not Official

धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है अपील अपीलाण्ट अंदर मियाद शुमार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय एवं इस न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने के उपरांत निष्कर्ष है कि रेस्पो0 सं. 1 ता 6 के पिता ईशरराम द्वारा अपने पक्ष मे निष्पादित बैयनामा दिनांक 24.06.68 व 08.01.70 के आधार पर चक 5 टीएलडब्ल्यू के खाता स. 213/216 प.न. 226/288 कि.न. 18, 19, 22, 23 प.न. 226/289 कि.न. 3, 4 कुल 6 बीघा आराजी जरिये बैयनामा खरीदशुदा होने का कथन करते हुए उक्त भूमि का गैरखातेदार कृषक मानते हुए प्रतिवादीगण का नाम कलमजन किया जाकर वादी का नाम बतौर खातेदार राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किये जाने का अनुतोष चाहा गया जिस पर विचारण न्यायालय द्वारा वाद वादी स्वीकार किया गया। जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजात बैयनामा दिनांक 24.06.68 के द्वारा चक 5 टीएलडब्ल्यू के प.न. 226/288 कि.न. 22 व प.न. 226/289 कि.न. 3, 4 कुल 3 बीघा एवं बैयनामा दिनांक 08.01.70 के द्वारा इसी चक 5 टीएलडब्ल्यू के प.न. 226/288 कि.न. 23/1.00 बीघा भूमि यानि दोनो बैयनामो के द्वारा कुल 4 बीघा भूमि ईशरराम द्वारा खरीद की गई है परन्तु रेस्पो0 सं. 1 ता 6 के पिता द्वारा प्रश्नगत बैयनामा दिनांक 24.06.68 व 08.01.70 के आधार पर बिना बैयनामा का अवलोकन किये बैयनामों मे अंकित 4 बीघा भूमि के स्थान पर 6 बीघा भूमि की डिक्री पारित कर दी गई जो विधिपूर्ण नही के कारण अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पुष्टि की जाकर यथावत रखा जाना उचित नही है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को चक 5 टीएलडब्ल्यू के प.न. 226/288 कि.न. 18, 19 की हद तक अपास्त किया जाना न्यायोचित है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

6. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 29.07.93 को चक 5 टीएलडब्ल्यू के प.न. 226/288 कि.न. 18, 19 कुल 2 बीघा भूमि की हद तक अपास्त किया जाता है तथा चक 5 टीएलडब्ल्यू के प.न. 226/288 कि.न. 18, 19 कुल 2 बीघा भूमि के अतिरिक्त शेष अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 29.07.93 यथावत रहेगा। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.08.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हरभान मीणा आर..ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ